



फतेहगढ़ पुलिस



*** मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ***

#OperationConviction

दिनांक-22.07.2026

थाना - मऊदरवाजा

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. लल्लूराम उर्फ पंकज पुत्र मनमोहन सिंह 2. धर्मपाल पुत्र दृगपाल सिंह निवासीगण तिमरुआ थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ मु0अ0स0- 405/2017 वाद संख्या 116/2017 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिनांक 22.07.2026 को अभियुक्त लल्लूराम उर्फ पंकज को दोषसिद्ध कर 07 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 40000/- रुपये अर्थदण्ड व धर्मपाल को दोषसिद्ध कर 05 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 20000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री तेज सिंह



एडीजीसी - श्री विकास कटियार



को0 मो0 हे0 का0 राजेश कुमार



पैरोकार - का0 गुलाम गौस



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना नवाबगंज

#MissionShakti





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



#MissionShakti

थाना कादरीगेट





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



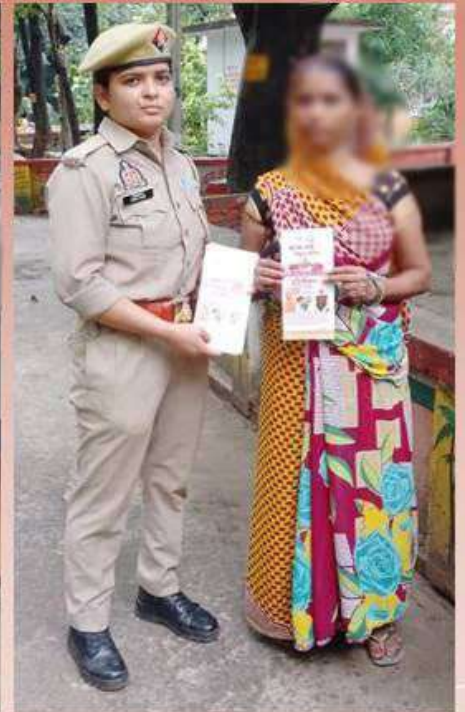
#MissionShakti

थाना मऊदरवाजा





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना कमालगंज



#MissionShakti





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना-अमृतपुर

#MissionShakti





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



#MissionShakti

थाना जहानगंज

